राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.59.एसीटीपी/डीएलबी/नियम(531)/18/3753 दिनांकः 25.09.2018

–:कार्यालय आदेशः–

विषयः– वर्षा के पानी द्वारा भू–गर्भ का जलस्तर बढ़ाना हेतु 300 व.मी. अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रैन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण हेतु शर्त की पालना की सूचना बाबत्।

राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में वर्षा जल द्वारा भू–गर्भ का जलस्तर बढ़ाने हेतु 300 व.मी. अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रैन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण की अनिवार्यता की गयी है एवं इस संबंध में एकीकृत भवन विनियम–2017 के प्रावधान 8.11.1 के तहत् रैन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण का तरीका व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 के अनुच्छेद 238 के अंतर्गत रैन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण में कोई व्यक्ति/भूखण्डधारी जो इस धारा के किसी भी उपबन्ध का उल्लंधन करता है, दोष सिद्ध होने पर दण्डनीय प्रावधान भी किये गये है।

राज्य सरकार के स्तर पर यह तथ्य नोट किया गया है कि नगरीय निकायों के उक्त नियम की पालना सुनिश्चित नही की जा रही है, तथा मानसून में हुई वर्षा के जल का समुचित संरक्षण नहीं होने के कारण भू–जल स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती है।

अतः राज्य के समस्त नगरीय निकायों में एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियम की कड़ाई से पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु IEC activity कर Public awareness बढ़ायी जावें एवं साथ ही नगरीय क्षेत्र में 300 व.मी. अथवा इससे ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों की कुल संख्या, इनमें से रैन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण की शर्त की पालना कितने भूखण्डों में की गई, सूचना भी संकलित कर प्रेषित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.59.एसीटीपी/डीएलबी/नियम(531)/18/3754–3763 दिनांकः 25.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

25/04/2018
(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक